भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4345
(19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

एनएमएमएस के माध्यम से उपस्थिति

4345. श्री सुदामा प्रसाद:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए प्रयुक्त राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) का दुरुपयोग और हेरफेर किया गया है;

(ख) एनएमएमएस ऐप के दुरुपयोग और हेरफेर के कारण राजकोष को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की एनएमएमएस ऐप को बंद करने की योजना है;

(घ) 2024-25 और 2025-26 में सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए आवंटित और जारी किए गए बजट का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 2021-22 के दौरान सामाजिक लेखा परीक्षा कराने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए , मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 1 जनवरी, 2023 से एनएमएमएस के माध्यम से

सभी कार्यों (व्यक्तिगत लाभार्थी कार्य को छोड़कर) के लिए एक दिन में श्रमिकों की दो-टाइम स्टाम्प वाली , जियो-टैग की गई तस्वीरों के साथ राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) ऐप के माध्यम से कार्यस्थल पर उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे ।

एनएमएमएस के कारण श्रमिकों को होने वाली किसी भी असुविधा से बचने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई कार्यस्थल नेटवर्क कवर्ड क्षेत्र में स्थित नहीं है या किसी अन्य नेटवर्क समस्या के कारण उपस्थिति अपलोड नहीं हो पा रही है , तो उपस्थिति ऑफलाइन मोड में दर्ज की जा सकती है और डिवाइस के नेटवर्क क्षेत्र में आने पर उसे अपलोड किया जा सकता है। असाधारण परिस्थितियों में यदि उपस्थिति अपलोड नहीं हो पाती है तो जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जिला स्तर पर छूट का प्रावधान भी मौजूद है , जिसे अब ब्लॉक स्तर पर विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है।

चालू वित्त वर्ष 2025-26 (13.08.2025 तक) के दौरान, योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) के माध्यम से 95% उपस्थिति दर्ज की गई है।

यह भी उल्लेखनीय है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामने आने वाली किसी भी समस्या को मंत्रालय के समक्ष वास्तविक समय पर उठाया जाता है , जो समयबद्ध तरीके से उसका समाधान करने का प्रयास करता है। राज्यों और अन्य हितधारकों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया और सुझावों के आधार पर , इस प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए इसमें निरंतर विभिन्न सुधार शामिल किए जाते हैं , जैसे कि पलक झपकने और सिर गिनने की सुविधा , मेट-आईडी मैपिंग, विभिन्न स्तरों पर तस्वीरों का सत्यापन आदि।

एनएमएमएस एप्लिकेशन के कार्यान्वयन से उपस्थिति प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया की समग्र दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। एनएमएमएस एप्लिकेशन मजदूरी के समय पर भुगतान में भी मदद करता है क्योंकि मजदूरी सूची और एफटीओ उसी दिन बनाए जा सकते हैं जिस दिन उपस्थिति दर्ज की गई हो। इससे पहले मैन्युअल उपस्थिति प्रणाली में इस प्रक्रिया में अधिक समय लगता था।

(घ): पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 और चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 (12.08.2025 तक) में सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई के लिए जारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधि अनुबंध-। में दी गई है।

(ड): वित्त वर्ष 2021-22 में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-।। में दिया गया है।

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 19.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4345 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित **अनुबंध-I**

पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 और चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 (12.08.2025 तक) में सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी निधि			
क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**जारी की गई निधि (रुपये लाख में)**	
		2024-25	**2025-26 (12.08.2025 तक)**
1	आंध्र प्रदेश	1838.23	-
2	अरुणाचल प्रदेश	138.75	-
3	असम	296.16	-
4	बिहार	350.00	-
5	छत्तीसगढ़	1168.20	-
6	गुजरात*	-	-
7	गोवा#	-	-
8	हरियाणा	194.54	77.57
9	हिमाचल प्रदेश	448.51	168.11
10	जम्मू और कश्मीर	130.62	-
11	झारखंड	422.54	389.61
12	कर्नाटक	1270.05	766.29
13	केरल	1194.85	-
14	मध्य प्रदेश	3090.99	759.71
15	महाराष्ट्र	1349.40	-
16	मणिपुर	158.59	-
17	मेघालय	263.87	158.4
18	मिजोरम	204.84	71.67
19	नागालैंड	190.21	48.56
20	ओडिशा	1705.97	-
21	पंजाब	320.30	-
22	राजस्थान	938.18	1141.41
23	सिक्किम	60.62	-
24	तमिलनाडु	3269.50	989.91

25	तेलंगाना	1784.80	514.39
26	त्रिपुरा	223.38	129.49
27	उत्तर प्रदेश	2200.00	1239.85
28	उत्तराखंड	148.49	76.82
29	पश्चिम बंगाल@	-	-

*गुजरात - पूर्ण प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

#गोवा - स्वतंत्र सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई का गठन अभी तक नहीं किया गया है।

@पश्चिम बंगाल-केन्द्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधान के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य को निधि जारी करना रोक दिया गया है ।

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 19.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4345 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित **अनुबंध-।।**

वित्त वर्ष 2021-22 में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण		
क्र.सं.	**राज्य**	**वित्तीय वर्ष 2021-22 में लेखापरीक्षित ग्राम पंचायतों की कुल संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	5,936
2	अरुणाचल प्रदेश	47
3	असम	1,510
4	बिहार	2,090
5	छत्तीसगढ	7,996
6	गुजरात	1,458
7	हरियाणा	3,904
8	हिमाचल प्रदेश	2,908
9	जम्मू और कश्मीर	1,237
10	झारखंड	1,132
11	कर्नाटक	5,690
12	केरल	313
13	मध्य प्रदेश	22,727
14	महाराष्ट्र	5,635
15	मणिपुर	477
16	मेघालय	4,207
17	मिजोरम	272
18	नागालैंड	127
19	ओडिशा	6,739
20	पंजाब	7,795
21	राजस्थान	731
22	सिक्किम	37
23	तमिलनाडु	12,515
24	तेलंगाना	3,911

25	त्रिपुरा	1,170
26	उत्तर प्रदेश	36,997
27	उत्तराखंड	1,240
28	पश्चिम बंगाल	3,338
कुल		**1,42,139**